[मौलाना ओवेदुल्ला खान अजमी]

संस्थाओं के तमाम धर्मस्थलों को तोड़कर अपनी-अपनी मरजी के ऐतबार से यह कारोबार हो रहा है, यह बेईमानी बंद होनी चाहिए ।

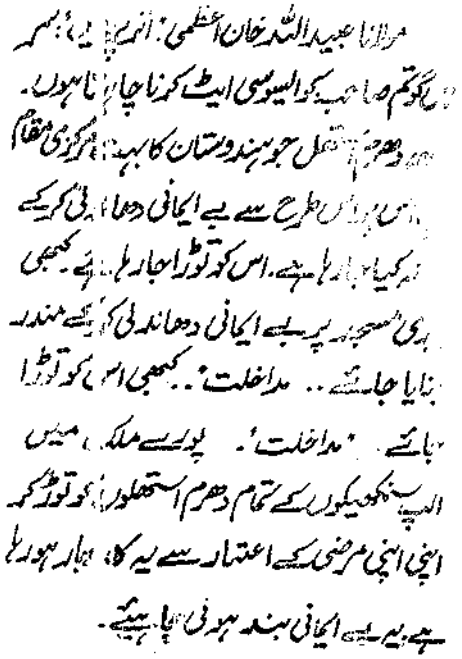

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : (मध्य प्रदेश) : हर चीज में बाबरी मस्जिद, हर चीज में बी०जे०पी० ।

मौलाना ओवेदुल्ला खान आजमी : मैंने बी०जे०पी० का नाम तो नहीं लिया . . . (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, माननीय गौतम जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे ।

---

† [ ] Transliteration in Arabic Script-,

DROUGHT CONDITIONS IN SOME PARTS OF UTTAR PRADESH

श्री राम नरेश यादव : (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं एक गंभीर प्रश्न की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, विशेष रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र, ये दोनो जिले बहुत बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं । यहां तक स्थिति हो गई है कि अब भुखमरी की स्थिति वहां पर हो रही है । वर्षा हुई नहीं, खेती होने का सवाल नहीं है विशेष रूप से वह क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि हमारे आदिवासी रहते हैं । जंगलों में रहते हैं । पहले तो कभी-कभी वे गुठली और दूसरे जंगली फल-फूल खाकर अपनी जिंदगी बसर करते थे । आज वह चीज भी उनके सामने नहीं रह गई है ।

महोदय, इस सदन में कई बार दूसरे राज्यों में जहां पर भुखमरी से मौतें हुई हैं। उसकी चर्चा हुई है । इस समय वहां जो स्थिति पैदा हुई है वह बहुत ही भीषण है, खतरनाक है किंतु प्रदेश की सरकार का ध्यान भी उधर नहीं गया है । पिछली सरकार जो थी उसने कुछ भी काम शुरु नहीं किया था जिससे कि वह लोग अपनी कमाई करके रुपया बचा सकें और अपनी जीविका चला सकें ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी उधर ध्यान दे और इस तरह से उसको ध्यान देना चाहिए कि एक तो मुफ्त राशन की व्यवस्था वहां पर कराई जानी चाहिए । दूसरी बात यह है कि बड़े पैमाने पर निर्माण के काम होने चाहिए क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो लोग क्या करेंगे ? भुखमरी के शिकार होकर मरने लगेंगे उसी समय सरकार चेतेगी । इसलिए यह भी एक सवाल है और हमारा यह भी आपके माध्यम से आग्रह है कि केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि वहां पर अधिकारी तुरंत जाएं और वहां पर युद्ध स्तर पर उनको राहत पहुंचाने के लिए जो भी संभव हो सके वह कदम उठाएं ताकि लोग भुखमरी के शिकार होने से बच सकें । यह इंसानियत का भी सवाल है मानवता का सवाल है । इ

सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस प्रश्नों को गंभीरता से लें और तत्काल वहां राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कदम उठाएं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : महोदय, श्री राम नरेश यादव जी के विशेष उल्लेख से मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर ऐसा इलाका है जहां आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं । एक सोनभद्र जिला है और दूसरा मिर्जापुर जिला है । वहां पर अकाल की स्थिति है । पहले ही भुखमरी के कगार पर वहां के लोग हैं । अब चूंकि वहां पर राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेदारी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की ओर गंभीरता से ध्यान दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, we will take up the Statutorty Resolution disapproving the Multimodal Transportation of Goods Ordinance, 1993 and the Multimodal Transportation of Goods Bill, 1993, together.

STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS ORDINANCE, 1993.

II. THE MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS BILL, 1993.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Md. Salim): The BAC has discussed it and decided that we will pass the Bill with out any further discussion, because we had already discussed it in the last session. Shri Satya Prakash Malaviya to move the Resolution.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी, 1993 को प्रख्यापित माल बहुविधि परिवाहन अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है ।"

माननीय उसभाध्यक्ष जी, जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि किन परिस्थितियों में यह अध्यादेश लाना पड़ा और यह बहुत स्पष्ट है । लेकिन मान्यवर, यह सरकार अध्यादेशों के जरिए कानून बनाना चाहती है । पिछला सत्र जो खत्म हुआ उसके बाद नया सत्र शुरु हुआ । इस बीच में 24 अध्यादेश इस सरकार ने इस सदन के पटल पर रखे । यह सही है कि वर्तमान विधेयक जो पारित होने जा रहा है यह पहेल अध्यादेश पारित हो गया था 16 अक्टूबर, 1992 को और उसके बाद राज्य सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया था 30 नवंबर, 1992 को और राज्य सभा ने इस विधेयक को 22 दिसम्बर, 1992 को पारित कर दिया था और उसके बाद चूंकि लोक सभा से यह विधेयक पारित नहीं हो पाया, इसलिए सरकार को 2 जनवरी, 1993 को अध्यादेश लाना पड़ा ।

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह अध्यादेश निरस्त हो जाता तो उसका कोई असर नहीं होता । सत्र शुरु होने जा रहा था, एक डेढ़ महीने बाद इस विधेयक को सरकार लाकर पारित करा सकती थी । मेरी आपत्ति यह है कि अध्यादेश के जरिए सरकार कानून बना रही है, यह अच्छी परिपाटी नहीं है । इस संबंध में, मैं श्री जी०वी० मावलंकर, जो लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, उन्होंने 25 नवंबर, 1950 को तत्कालीन जो संसदीय कार्य मंत्री थे भारत सरकार के, उनको एक पत्र लिखा था, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं । उन्होंने कहा था —

"The procedure of the promulgation of Ordinance is inherei'ly undemocratic. Whether an Ordinance is justifiable or not, the issue of a large number of Ordinances has psychologically a bad effect. The people carry an impression that Government is carried on by Ordinances. The House carries a